

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम श्रीमति अभिलाषा चौरसिया
 2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ए.ए.यू. ग्रामीण नगरीय
 3. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ
 4. वर्तमान वेतन
 5. आगामी वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियु
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
① निहालपुरमुड़ी इन्दौर	-	Plot No. 32 शितल घाटा निहालपुरमुड़ी इन्दौर 371.56 वर्ग मीटर का भागा भाग	लगभग 40 लाख का आधा भाग	① श्री मुकुल पिता दीनदयाल चौरसिया ② श्री उमेश पिता दीनदयाल चौरसिया पति पुत्र जेठ के नाम	समान भाग में पति पुत्र जेठ के द्वारा उनके वेतन व अर्जन लेकर क्रय की गई।	निल	-
② पालाखेड़ी धोनेद इन्दौर	-	Plot No. 30 सिगापुर लाहौर स्टारल प्रीति मम् कालोनी धोनेद इन्दौर	लगभग 27 लाख	श्री मुकुल पिता दीनदयाल चौरसिया पति के नाम से	पति के द्वारा उनके वेतन पुत्र अर्जन से क्रय (अर्जन युक्ताना शेप है) प्लार बंधक है।	निल	-

217.65 वर्ग मीटर

हस्ताक्षर श्रीमति अभिलाषा चौरसिया
 पदनाम ए.ए.यू. ग्रामीण
 नाम श्रीमति अभिलाषा चौरसिया

- 1- जहाँ लागू न हों काट दीजिए।
- 2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।
- 3- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें यह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।